राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– प.4 (63)/मुसप्र/वि.स./सा.प्रयो.समिति/नवीन पजी. योजना/2012/446 दिनांकः– 18.7.2012

कार्यालय आदेश

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. सरकार के पत्रांक प.15 (4) नविवि/2009 जयपुर दिनांक 19.04.12 के द्वारा 13वीं विधानसभा के मा. विधायको के लिए पूर्ण निर्मित आवासों हेतु "**नवीन पंजीकरण योजना**" दिनांक 19.06.2012 से दिनांक 18.07.2012 तक प्रारम्भ की गई थी। उक्त योजना की अन्तिम तिथि 03.08.2012 तक बढ़ाए जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष,/ आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0 आ0 म0, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर को स्वीकृत योजना के कियान्वयन के क्रम में परिपत्र क्रमांक 20954 दिनांक 16.03.12 एवं समय–समय पर जारी अन्य परिपत्रों/आदेशो, यू.ओ.नोट एवं पत्रो के तहत् निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तावित आवासों की अनुमानित लागत निर्धारित करावें, पंजीकरण आवेदन पत्र विक्रय/जमा इत्यादि कार्यो हेतु बैंकों का निर्धारण करावें, प्रस्तावित आवासों की निर्धारित समय में सही बुकलेट तैयार करावें एवं योजना प्रारम्भ करने की तिथी से पूर्व जन सम्पर्क अधिकारी के माध्यम से मण्डल नियमानुसार समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन करावें। योजना की बुक–लेट की दो–दो प्रतियां अध्यक्ष सचिवालय/आवासन आयुक्त प्रकोष्ठ एवं मुख्य सम्पदा प्रबन्धक प्रकोष्ठ में योजना प्रारम्भ तिथि से तीन दिवस पूर्व उपलब्ध करवाना तथा अन्य वॉछित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे। समय पर वॉछित कार्यवाही नहीं होने या गलत कार्यवाही होने पर अतिरिक्त मुख्या अभियन्ता सहित संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगें।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–पी.एण्ड एम., राज0आवासन मण्डल, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0, जयपुर।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त–वृत–तृतीय रा0आ0म0,जयपुर।
8. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी संबन्धित को मेल करें।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

D:\CEM Backup-2011\All Files-CEM Cell\O P Ji\Letter OP.rtf